

राजस्थान-सरकार
न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 172/2025
जीसीएमएस नं. 2025/172

दायर दिनांक:- 24.10.2025
निर्णय दिनांक:- 24.10.2025

“हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 27 ए, डवलपड इन्डस्ट्रीयल एस्टेट गुईन्डी चेन्नई-600032, एवं शाखा कार्यालय-द्वितीय तल 212,213,214 एवरसाइन टॉवर एफ-1 आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर-302021

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्रीमति रमिला पत्नि देवजी निवासी-वार्ड नंबर 5, डूंगरी चौक, मुकाम पोस्ट ग्राम-करियाणा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर अन्य पता-पट्टा नं. 86 स्थित खसरा नम्बर 2164, ग्राम नई आबडी नई बाडा, वार्ड नं. 3, प्रतापपुर गढी, जिला बांसवाडा
2. श्री हिमांशु पाटीदार, निवासी-वार्ड नम्बर 5, डूंगरी चौक, मुकाम पोस्ट ग्राम-करियाणा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर अन्य पता-पट्टा नं. 86, स्थित खसरा नम्बर 2164, ग्राम नई आबडी, नई बाडा, वार्ड नं.3, प्रतापपुर गढी, जिला बांसवाडा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

--: आदेश :-

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, ने अप्रार्थीगण को दिनांक 24.08.2022 को राशि 10,50,000/- अक्षरे रूपया दस लाख पचास हजार मात्र ऋण सुविधा उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-रमिला पाटीदार पत्नि श्री देवजी पाटीदार की आवासीय अचल सम्पत्ति बापी पट्टा नं. 10/05-12/2002, स्थित खसरा नम्बर 1406, ग्राम करणिया, ग्राम पंचायत करणिया, पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1040 वर्गफिट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमाये निम्न प्रकार है :- पूर्व में राजु पुत्र श्री भोगीलाल का मकान, और मोहल्ले का रास्ता, पश्चिम में सी.सी.रोड, उत्तर में शातिलाल पुत्र भोगीलाल का मकान, दक्षिण में मोहनलाल, नटवरलाल पुत्र श्री हरिलाल का मकान स्थित है।

अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 05.07.2024 को (एन.पी.ए) घोषित किया गया। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 10,38,935/- अक्षरे दस लाख अड़तीस हजार नव सौ पैत्तिस मात्र, दिनांक 01.07.2024 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने की मांग की गई। ऋणी को दिनांक 17.08.2024 को नोटिस जारी करने तथा समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई -व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, को दिया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, को सभलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी ने उसके खाते में देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस के बावजूद भी प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, को राशि जमा नहीं कराने से उक्त अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी के पक्ष में उक्त रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को दिलवाने का आदेश जारी करने की मांग की। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहा से कोई न्यायिक निर्णय नहीं किया जाना है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर



नेने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पत्ति को हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स
लिमिटेड, के पास रहन रखकर -कुल 10,50,000/-अक्षरे रूपया दस लाख पचास हजार मात्र ऋण
प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक
05.07.2024 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। कुल बकाया ऋण
राशि-10,38,935/-दिनांक 01.07.2024 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त शामिल
करते हुए बकाया राशि मय ब्याज के निकलते है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत
प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2024 को नोटिस
जारी करने के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का
सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में बंधक के रूप में रखी
गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाना आवश्यक है। अतः हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स
लिमिटेड, द्वारा अप्रार्थी ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा बावजूद
नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नहीं कराई गई। दी सिक्क्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की
प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, के पास बन्धक रखी सम्पत्ति रमिला पाटीदार
पत्नि श्री देवजी पाटीदार की आवासीय अचल सम्पत्ति बापी पट्टा नं. 10/05-12/2002, स्थित
खसरा नम्बर 1406, ग्राम करणिया, ग्राम पंचायत करणिया, पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर में
स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1040 वर्गफिट है। उक्त सम्पत्ति को अप्रार्थी से प्राप्त करने जरिये
पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, को सम्भलाये जाने के आदेश
दिये जाते है। प्रार्थी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय
की प्रति अप्रार्थीगण ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि
जमा कराने का अवसर दिया जावे। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा
नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की क्रियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस
अधीक्षक, डूंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक...24/10/25...को सुनाया जाकर पत्रावली
फैसल में शुमार हो।



(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर